ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन

चर्चा में क्यों?

5 मार्च, 2025 को [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने **ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्राधिकरण** को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने के लिये **वन अनुसंधान संस्थान (FRI)** को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय**
  - न्यायालय के अनुसार, किसी भी अवैध कटाई को रोकने के लिये क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना आवश्यक है।
  - न्यायालय ने निर्देश दिया कि **उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976** का उद्देश्य वृक्षों की गणना करना तथा उनकी सुरक्षा करना है।
    - वृक्ष गणना के बिना इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।
  - न्यायालय ने कृषि वानिकी के लिये भी वृक्षों की कटाई करने की अनुमति लेने की आवश्यकता को भी बरकरार रखा है।
    - वर्ष 2015 के अपने निर्णय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि [कृषि वानिकी](#) के लिये 1976 के अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे, जिसका अर्थ है कि किसी भी वृक्ष को काटने से पहले आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
- **ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के बारे में:**
  - **TTZ** ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित क्षेत्र है।
  - इसका यह नाम इसलिये रखा गया है क्योंकि यह ताजमहल के चारों ओर स्थित है और इसका आकार समलम्ब चतुर्भुज जैसा है।
  - [इसमें तीन विश्व धरोहर स्थल](#) **ताजमहल , आगरा किला** और **फतेहपुर सीकरी** सहित कई स्मारक शामिल हैं।
  - इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एवं एटा ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला शामिल है।
  - इस क्षेत्र में उद्योगों की श्रेणी के चार ज़ोन में बाँटा गया हैं जिन्हें लाल, हरा, नारंगी एवं सफेद वर्ग में रखा गया है।
  - इस ज़ोन में केवल पर्यावरण अनुकूल, गैर-प्रदूषणकारी छोटे, लघु एवं सूक्ष्म स्तरीय उद्योगों को ही संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

//

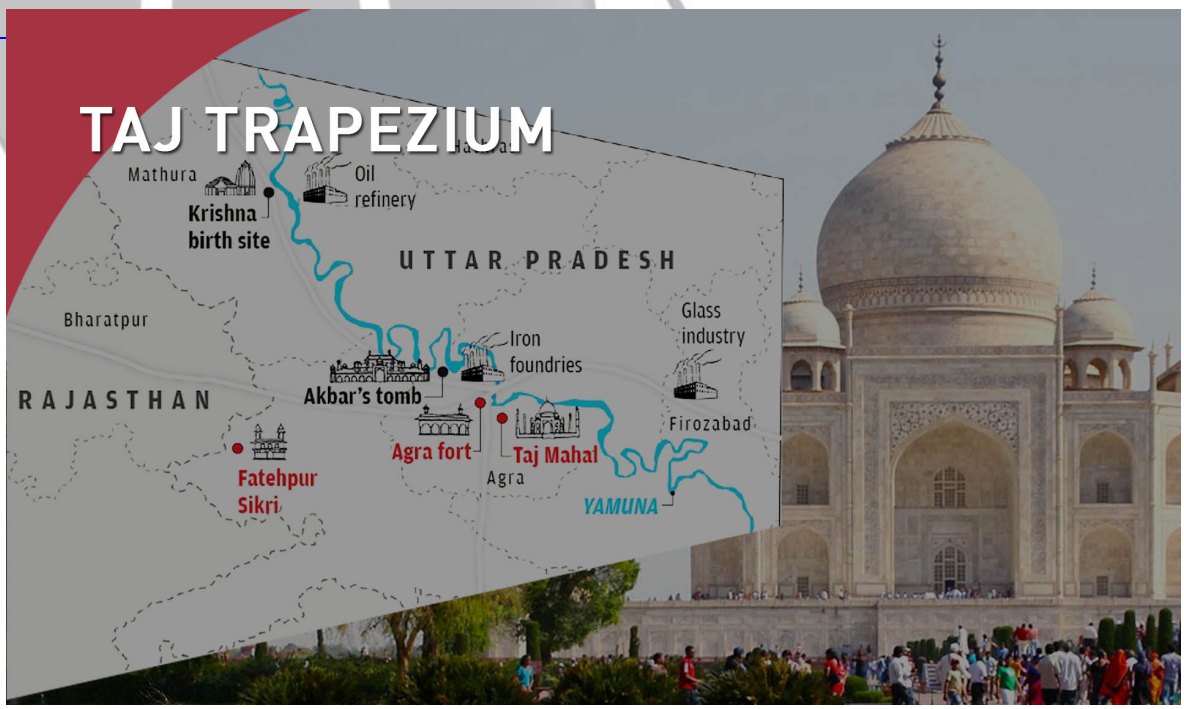

वन अनुसंधान संस्थान (FRI)

- FRI उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस संस्थान की शुरुआत वर्ष 1878 में फ़ॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी।
- वर्ष 1906 में, इसे ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के तहत **इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट** के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर **वन अनुसंधान संस्थान एवं कॉलेज** कर दिया गया।
- इसके देशभर में कई केंद्र हैं, जो अनुसंधान के साथ-साथ वन अधिकारियों और वन रेंजरों को प्रशिक्षण भी देते हैं।
- वर्ष 1988 में देश में **वानिकी अनुसंधान** के पुनर्गठन और **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE**) के निर्माण के बाद प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्रों को स्वतंत्र संस्थानों का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
- वन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में ICFRE के अंतर्गत आता है जिसे दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/taj-trapezium-zone